न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 58/2017

अपीलांट्स–	*बनाम*	रेस्पोडेंट्स –
1. ईदाराम पुत्र खेराजराम 2. गणेशाराम पुत्र खेराजराम जाति जाट निवासी नाथाणी जाणियों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु 2. पोकरराम पुत्र खेराजराम 3. दम्माराम पुत्र खेराजराम 4. नरपतसिंह पुत्र खेराजराम जाति जाट निवासी नाथाणी जाणियों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 26.05.17 जो तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री नरपत पूनड़, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री राऊराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 02से04 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 23/07/2019

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु के द्वारा मौजा नाथाणी जाणियों की ढाणी एवं धरतवालों की ढाणी के खसरा नम्बर 1053, 1059, 1333/1056, 377/293, 383/305 कुल रकबा 106–04 बीघा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 26.05.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.11.2017 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। पेश की गई हैं।

2. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

Scanned by CamScanner

तहसीलदार बायतु द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश दिनांक 26.05.2017 पारित करने मे विधिक एवं तथ्यों की भूल की गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 18 से 21 की पालना नही गई तथा कानूनी प्रावधानों के विपरित मौका की कब्जा–काश्त की रिपोर्ट मंगवाये बिना ही बंटवाड़ा कर दिया। अपीलांट्स की रहवासी ढाणियां एवं टांके इत्यादि को नजर अंदाज करते हुए विभाजन कर दिया है जो मौका स्थिति भिन्न होने से अपीलांट प्रभावित हो रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्तुत मे उपजाऊ एवं समतल भूमि रेस्पोडेंट्स के हिस्से मे रखी गई है, जबकि अपीलांट को धोरो वाली भूमि दी गई है जो पक्षकारान के आपसी बाहमी बंटवाड़ा से भिन्न होने से निरस्त योग्य हैं। अपने कथन के समर्थन मे न्यायिक निर्णय नजीर आर0आर0टी0 2017(1) पेज 689 एवं आर0आर0टी0 2011 (1) पेज 57 प्रस्तुत की गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय पारित होने का पूर्व मे कोई ज्ञान नही था तथा अर्सा पूर्व रेस्पोडेंट्स सं. 2से4 द्वारा अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश तब दिनांक 07.10.2017 को आवश्यक नकलें मांगी तो अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई तथा जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट्स की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर स्वीकार फरमाई जावें तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त कर पक्षकारान के मौका कब्जा–काश्त व आने–जाने के रास्तों एवं जमीन की स्थिति (उपजाऊ/समतल) के अनुसार विभाजन किये जाने का आदेश फरमावें।

3. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब मे प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंन्ट्स ने आपसी सहमती से करवाए गये बंटवारे के अनुसार वादग्रस्त भूमि की अलग–अलग तरमीम की जा चुकी है जिसका नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम अंकन हो गया है तथा मौके पर पक्षकारान का इसी अनुसार कब्जा काश्त वक्त सैटलमेंट से आपसी सहमति से बाहमी तौर पर किये गये बंटवाड़ा अनुसार है। अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान कोई उजर–ऐतराज नहीं किया गया जबकि अपीलांट को विभाजन की प्रारम्भ से ही जानकारी थी। हलका पटवारी द्वारा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में बाहमी बंटवाड़े के अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव व नक्शा तैयार किया गया था जिसे अपीलांट्स ने स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान किए थे तथा स्वयं अपीलाट्स तहसीलदार के समक्ष पेश हुए हैं। अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु पूर्ण

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Scanned by CamScanner

सहमती प्रदान की थी। अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स यह भी प्रकट किया कि धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता अनुसार आपसी सहमति से जारी किसी डिक्री या आदेश के विरूद्ध अपील चलने योग्य नही हैं। वर्तमान में अपीलांट के नियत में खोट आने के कारण रेस्पोडेन्ट्स की विकसित की गई भूमि को हड़पने की नियत से मनगढत एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत यह अपील पेश की गई है जो मयाद बाहर है तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण प्रकट नही किया गया है, ऐसे में प्रस्तुत अपील सव्यय खारिज फरमाई जावे।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेखों का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा नाथाणी जाणियों की ढाणी एवं धतरवालों की ढाणी के खसरा नम्बर 1053, 1059, 1333/1056, 377/293, 383/305 कुल रकबा 106–04 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड मे पोकरराम, दम्माराम, ईदाराम, गुणेशाराम, नरपतसिंह पि0 खेराजराम कौम जाट के नाम राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। पक्षकारान ने आपसी सहमती से उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का विभाजन करने हेतु विभाजन प्रस्ताव मय विभाजन नक्शा तहसीलदार बायतु के समक्ष दिनांक 26.05.2017 को प्रस्तुत किया, जिस पर हलका पटवारी बायतु भीमजी की रिपोर्ट का अवलोकन कर एवं पक्षकारान की स्वतंत्र सहमती के आधार पर विभाजन प्रस्ताव आदेश दिनांक 26.05.2017 को स्वीकार किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि का विभाजन पक्षकारान के हिस्सा एवं कब्जानुसार नहीं किया गया जिससे पक्षकारान को उपजाऊ एवं धोरे वाली भूमि का समान बंटवाड़ा नहीं हुआ है। इसके जवाब में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान की उपस्थिति एवं उनकी सम्पूर्ण सहमति से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, जिसकी जानकारी उसी दिन अपीलांट्स को हो गई थी। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा अपील के प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब के सम्बन्ध मे कोई ठोस कारण प्रकट नहीं किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स की उपस्थिति मे ही पारित किया गया है। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरों मे माननीय न्यायालयों द्वारा दिये गये अभिमत इस अपील के तथ्यों से भिन्न होने से लागू होना प्रतीत नही होते हैं। अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपीलों मे अन्यथा कोई विधिक या वाक्याती तौर पर कोई सारवान त्रुटि होने का तथ्य प्रकट नहीं किया है जिसकी जानकारी तत्समय अपीलांट को नही हुई हों। ऐसे मे प्रथम तो प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है जिसके बाबत कोई

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Scanned by CamScanner

ठोस कारण प्रकट नही किया गया है, द्वितीय कि सहमति से कराये गये विभाजन के विरूद्ध अपील विचारण योग्य भी प्रतीत नही होती है। इस प्रकार अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर अधारित होने एवं मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2017 को यथावत बहाल रखा जाता हैं।

6. आदेश आज दिनांक 23.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Scanned by CamScanner